

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

संकल्प सं०-ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018 / पटना, दिनांक :-

विभागीय संकल्प सं०- 406286 दिनांक- 15.01.2019 द्वारा श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक- 988/पं० दिनांक- 08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

श्री पाठक के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में नामित संचालन पदाधिकारी श्री अनुराग कौशल सिंह, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नया संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

संकल्प सं०- 406286 दिनांक- 15.01.2019 के शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगी।

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राधा किशोर झा)

संयुक्त सचिव

जापांक:- ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018- / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

संयुक्त सचिव

जापांक:- ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018- / पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को श्री पाठक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही संपन्न कर अपना प्रतिवेदन तथा कार्यवाही अभिलेख के साथ आदेशफलक संलग्न कर अपना मंतव्य तीन प्रतियों में विभाग को प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे।

ह०/-

संयुक्त सचिव

जापांक:- ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018- 424157 / पटना, दिनांक :- 14.05.2019

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज / जिला पदाधिकारी, मुंगेर / उप विकास आयुक्त, गोपालगंज / उप विकास आयुक्त, मुंगेर / प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा- 03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट (गोपालगंज) सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया, बम्बर, मुंगेर/आई.टी. मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग (विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्श करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

चपरासी
बही

ईमेल/
निबंधित

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

संकल्प सं०:-ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018 / पटना, दिनांक :-

विभागीय संकल्प सं०- 406286 दिनांक- 15.01.2019 द्वारा श्री दृष्टि पाठक, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुचायकोट सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेटिया बम्बर, मुँगेर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक- 988/पं० दिनांक- 08.08.2018 द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है।

श्री पाठक के विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में नामित संचालन पदाधिकारी श्री अनुराग कौशल सिंह, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर श्री दिलीप कुमार अग्रवाल, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नया संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

संकल्प सं०- 406286 दिनांक- 15.01.2019 के शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी।

उक्त आदेश पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी सम्बन्धित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(राधा किशोर झा)

संयुक्त सचिव

जापांक:- ग्रा०वि०-14(सा०)गो० -02/2018- 424157 / पटना दिनांक :- 14.05.2019

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में, सी०डी० सहित) बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- यथोक्त।

संयुक्त सचिव